संख्या–1595/सात–न्याय–2–2011–68जी/2011

प्रेषक,

श्री के0 के0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग–2 (अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊ दिनांक 17 फरवरी, 2012

विषयः–वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–4) में न्याय विभाग के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–4) में न्याय विभाग के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में वेतन समिति की संस्तुतियों पर अधीनस्थ न्यायालयों के लिपिकीय संवर्ग के पदों पर निम्नलिखित व्यवस्था लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1)प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (शेट्टी आयोग) की संस्तुतियों पर अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुमन्य विशिष्ट सुविधाओं को यथावत बनाये रखा जाये।

(2)अधीनस्थ न्यायालयों के लिपिकीय संवर्ग के प्रथम स्तरीय पद यथा सहायक नाजिर, अमीन (ग्रेड 2), सहायक लेखा लिपिक, सहायक अभिलेखपाल (दीवानी व फौजदारी), लेखन सामग्री लिपिक, प्रतिलिपिक (दीवानी व फौजदारी) तथा टंकक आदि के पदों पर सचिवालय से इतर लिपिकीय संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसार लिपिकीय संवर्ग के प्रथम स्तरीय पद पर वेतन बैण्ड (रू05200–20200), ग्रेड वेतन रू02000/– दिनांक 18 मार्च, 2011 से अनुमन्य किया जाता है। इस क्रम में प्रथम स्तरीय पद का पदनाम कनिष्ठ सहायक रखा जाता है तथा भविष्य में इन पदों पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता इण्टरमीडिएट के साथ–साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त 'सी0सी0सी0'प्रमाण पत्र तथा हिन्दी/अंग्रेजी में कम से कम क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति निर्धारित की जाती है।

(3)अधीनस्थ न्यायालयों के लिपिकीय संवर्ग के द्वितीय स्तर के पदों यथा वाद लिपिक, इजराज लिपिक, सत्र लिपिक, विविध लिपिक, अपील लिपिक, उप नाजिर, लिपिक/अहलमद आदि वेतनमान रू04000–6000 के पदों को तथा वेतनमान रू04500–7000 में उपलब्ध

–2–

लिपिकीय संवर्ग के पदों को संविलीन करते हुए वरिष्ठ सहायक पदनाम
तथा वेतनमान रू04500–7000 का पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य
वेतन बैण्ड (रू05200–20200) एवं ग्रेड वेतन रू02800/– अनुमन्य
दिनांक 18 मार्च, 2011 से किया जाता है। इस क्रम में वरिष्ठ सहायक के
इन पदों को पॉच वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से शत
प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने की व्यवस्था रखी जाती है।

(4)वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर अनुमन्य वेतनमान
रू08000–10500 को यथावत बनाये रखा जायेगा।

2– उपयुक्तानुसार उच्चीकृत वेतनमानों में सम्बन्धित पदधारकों का वेतन
शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–841/दस–2009–59 (एम)/2008 दिनांक 24 दिसम्बर,
2009 के अनुसार किया जायेगा ।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–वे0आ0–1
1055/दस–2011, दिनांक 10–2–2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा
रहें हैं ।

भवदीय,

के0के0 शर्मा
प्रमुख सचिव ।

संख्या–1595 (1)/सात–न्याय–2–2011, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2– समस्त जिला जज, उत्तर प्रदेश ।
4– समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3– वित्त (वेतन–आयोग) अनुभाग–1/2
5– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–12
6– वित्त (सामान्य) अनुभाग–1/2
7– न्याय अनुभाग–9 (बजट)
8– गार्ड बुक हेतु ।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार जौहरी)
विशेष सचिव ।